II/निग०/उमरिया/भू.रा०/2017/4747

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs.30/-

अब्दुल मजीद पिता स्व0 शेख चन्दू, आयु 70 वर्ष, निवासी फजिलगंज वार्ड नं0 4, तहसील बांधवगढ़,जिला उमरिया म0प्र0

--------निगरानीकर्ता

बनाम्

शासन म0प्र0 जरिये कलेक्टर महोदय उमरिया, जिला उमरिया म0प्र0

------- गैरनिगरानीकर्ता

अधि० श्री सत्यदेव पाठक द्वारा पेश/25.11.17

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार तह0 बांधवगढ़, जिला उमरिया म0प्र0, के राजस्व प्र0क0 226अ–12/16–17 मे आदेश दिनांक 18..10.2017 में पारित ।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.10.2017 सर्वथा विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, बाधवगढ़ जिला उमरिया, द्वारा सीमांकन प्रकरण कमांक 226/अ–12/16–17 में पुष्टि न करने का आदेश पारित करने में विधि द्वारा प्रतिपादित न्याय के सिद्धान्तो तथा विहित प्रकिया के विपरीत होने के कारण उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अब्दुल मजीद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

(54)

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2017/4747

जिला–उमरिया

अब्दुल मजीद / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यदेव पाठक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील बांधवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 226/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला उमरिया के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	